पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

पत्रांक: 1966 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 31 .10.2026

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2026 को सम्पन्न 109वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा सं0 109.15 "Proposal for payment of Incentive on the basis of "Performance linked Incentive Scheme" to all regular, probationer, trainee employees of PTCUL, contractual employees through UPNL/PRD/SHG including whole time Directors for the FY 2025-26." के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025–26 में पिटकुल के पूर्णकालिक निदेशक, नियमित कार्मिक, अस्थाई एवं प्रशिक्षु तथा उपनल/पी0आर0डी0/एस0एच0जी0 के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निम्नांकित व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु अधिकतम रू0 66,238/– (रूपया छियासठ हजार दो सौ अडतीस मात्र) की प्रोत्साहन राशि (Incentive) पूर्णकालिक निदेशक, नियमित कार्मिक, अस्थाई एवं प्रशिक्षु कार्मिकों को निम्नवत देय होगाः–
 (i) रू0 66,238.00 का 50 प्रतिशत रू0 33,119.00 सभी कार्मिको को बराबर देय होगा।
 (ii) रू0 66,238.00 का शेष 50 प्रतिशत रू0 33,119.00 कार्मिकों को उनकी वर्ष 2025–26 की के0पी0आई0 आधारित अथवा गैर के0पी0आई0 आधारित वार्षिक गोपनीय आख्याओं में स्वीकृता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी अभ्युक्ति के सापेक्ष निम्नांकित तालिका में दी गयी गणना के अनुसार देय होगी :–

Overall Marks obtained in Performance Appraisal Report (PAR) (employees covered under KPI's)	Evaluation of Annual Confidential Report (ACR) by Final Authority (employees not covered under KPI's)	Eligibility of Variable component of incentive	Amount to be distributed per employee according to KPI
1	2	3	5
Below 40	Unsatisfactory	NIL	NIL
41-55	Satisfactory	60%	Rs.19,872.00
56-70	Good	80%	Rs.26,496.00
71-85	Very Good	100%	Rs. 33,119.00
86 and above	Outstanding/ Excellent		

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रोत्साहन राशि (Incentive) हेतु पात्रता निम्नवत् होगी :–

क– प्रोत्साहन राशि (Incentive) वित्तीय वर्ष में कार्मिक की उपस्थिति, वैतनिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश पर यथानुपात (Pro-rata basis) पर देय होगी। उक्त अवकाश के अन्यत्र अवकाशों को प्रोत्साहन राशि हेतु नहीं जोडा जायेगा।

ख– प्रोत्साहन राशि (Incentive) वित्तीय वर्ष 2025–26 में उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य होगी जो कि पूरे वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का दण्ड/शास्ति/निन्दा प्रविष्टि/निलम्बन इत्यादि से पूर्णरूप से मुक्त रहे हों।

ग– वित्तीय वर्ष 2025–26 में बर्खास्त/सेवा समाप्त किये गये कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि (Incentive) अनुमन्य नहीं होगी।

घ– कार्मिक जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025–26 में के0पी0आई0 आधारित गोपनीय आख्या में 40 प्रतिशत अथवा उससे कम अंक अथवा "असंतोषजनक" अभ्युक्ति प्राप्त हुई है को प्रोत्साहन राशि (Incentive) अनुमन्य नहीं होगी।

क्रमशः.....पेज–2/–

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रोत्साहन राशि (Incentive) की सामान्य शर्तें :–
 - अ– प्रोत्साहन राशि (Incentive) की गणना किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ वेतन/भत्ते/सेवानिवृत्ति के लाभ आदि में नहीं होगी।
 - ब– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्राप्त उपलब्धि एवं कारपोरेशन द्वारा उल्लिखित अन्य रिकॉर्ड अन्तिम होंगे।
 - स– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि (Incentive) प्रदान किये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में कोई अन्य प्राविधान लागू किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल का निर्णय अन्तिम होगा।
4. सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2025–26 की के0पी0आई0 आधारित एवं गैर के0पी0आई0 आधारित गोपनीय आख्याओं में ''स्वीकर्ता अधिकारी'' द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टि के अनुसार कार्मिकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के (i) एवं (ii) में वर्णित व्यवस्था के आधार पर प्रोत्साहन राशि (Incentive) का भुगतान करेंगे।
5. चूँकि संविदा कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की जाती है, अतः उपनल/पी0आर0डी0/एस0एच0जी0 के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एक समान धनराशि रू0 12,000.00 (रू0 बारह हजार मात्र) प्रति संविदा कार्मिक देय होगी।
6. पिटकुल के नियमित, अस्थाई एवं प्रशिक्षु कार्मिकों की वित्तीय वर्ष 2025–26 की के0पी0आई0 आधारित एवं गैर के0पी0आई0 आधारित गोपनीय आख्याओं में ''स्वीकर्ता अधिकारी'' द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टि की सूची सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी को पृथक से प्रेषित की जायेगी।
7. नियंत्रक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/स्थानान्तरण के कारणों से लम्बित ए0सी0आर0 हेतु प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष, पिटकुल जैसा भी आवश्यक हो द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
8. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, वित्तीय वर्ष 2025–26 की इन्सेंटिव धनराशियों का सभी पात्र कार्मिकों को भुगतान के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो उक्त धनराशि उन उत्कृष्ट नियमित कार्मिकों/गैर नियमित कार्मिकों को उनके द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में किये गये ''असाधारण/विशिष्ट कार्यों'' के सापेक्ष ''विशेष इन्सेंटिव'' के रूप में प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

पत्रांक :1966/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल,।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–द्वितीय), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)